आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29-11-2023	**वाद सं0–54 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम–तुतटोली, पं0–तिरला, प्र0+जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग ने 17.11.2023 को हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को निदेश दिया था कि सितम्बर माह का राशन कम दिये जाने की मामले की जांच करें और जिन लाभुकों को सितम्बर माह का राशन नहीं दिया गया है या कम दिया गया उन्हें बकाया अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज के सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला की उस पंचायत में उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि CD में जिन व्यक्तियों ने अनाज उपलब्ध नहीं कराने की बात कही है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाये। न्याय के हित में आयोग शिकायतकर्ता का नंबर नहीं होने के कारण डाक के माध्यम से पुनः आदेश की प्रति प्रेषित करते हुए शिकायतकर्ता से आग्रह करता है कि वो यदि चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए इस वाद को निष्पादित करने को बाध्य होगा। आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भेज दी जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
D:\Premlata\Court.docx49		